कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर
बुलन्दशहर

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 02/अ0अ0/2018–19

महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु महुरबन्द निविदाएँ सिंचाई विभाग में पंजीकृत श्रेणी के फर्मो /ठेकेदारों से दिनांक 21.06.2018 को अपरान्हः 5.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं, जो इस खण्ड की निविदाओं हेतु गठित कमेटी द्वारा दिनांक 22.06.2018 को अपरान्हः 3.30 बजे खण्डीय कार्यालय में खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18.06.2018 से 21.06.2018 तक अपरान्हः 2.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के मध्य अधिशासी अभियन्ता बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर या अधिशासी अभियन्ता, अलीगढ खण्ड गंग नहर, अलीगढ या सहायक अभियन्ता प्रथम–उपखण्ड गाजियाबाद या सहायक अभियन्ता द्वितीय, उपखण्ड– हापुड़ के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त की जा सकेंगी।

कम सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में) 2%	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 में (कर अतिरिक्त)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	डासना नाले के किमी0 13.850 पर वी0आर0बी0 की मरम्मत का कार्य	5.00	0.10	01 माह	150+18% (GST)	सी अथवा उच्च

नियम व शर्तेः–

1. कार्य समयबद्व रूप से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। कार्यो की प्रगति मानक से कम होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वह मात्र एक नोटिस देकर अन्य कार्य किसी अन्य संस्था से पूर्ण कराने तथा अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके पूर्व ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
2. ज्वाइन्ट वैंचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेंगी।
3. निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र एवं डॉक्यूमेन्ट्स संलग्न करने होंगे।
   (अ) सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र(मूल रूप में एवं छायाप्रति)
   (ब) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1)(मूल रूप में एवं छायाप्रति)
   (स) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2)(मूल रूप में एवं छायाप्रति)
   (द) स्वघोशणा पत्र (IDT-3)(मूल रूप में एवं छायाप्रति)
   (य) जी0एस0टी0 पंजीकरण(मूल रूप में एवं छायाप्रति)
   (र) धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0
4. निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा की दशा में शासनादेश सं0–622/23.12.2012–2 आडिट/08 टीसी–2,दिनांक 08.06.12 के अनुसार 10 प्रतिशत तक बिलों दरें (**Below Rates**) पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अथवा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर प्रफोर्मेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट **(http://www. Irrigation.up.in, http://www.id up.upgovt.in)** पर उपलब्ध है। वेबसाईट से ड्राईंग उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में देख सकेंगे।
6. प्रत्येक निविदा दाता को रू0 100/– जूडिशियन स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय स्टैम्प ड्यूटी रायल्टी तथा अन्य प्रचलित टैक्स निविदादाता को देने होंगे। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा प्रतिभूति धनराशि सहित 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
7. धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में अधिशासी अभियन्ता, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर के पक्ष में बंधक होनी चाहिये।
8. निविदा प्रपत्र का शुल्क एवं उस पर जी0एस0टी0 शुल्क अलग–अलग ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा कय करते समय देना होगा। उक्त ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर के पक्ष में जनपद बुलन्दशहर मुख्यालय पर देय होगा।
9. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी/बढ़ायी जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियों तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वंय प्राप्त करनी होगी। इस के अतिरिक्त कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
11. निविदादाता/बिड्र द्वारा निविदा डालते समय प्रकिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

12. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

13. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

14. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने के तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी), अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक कार्यदायी खण्ड/वृत्त में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिए योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे सम्बन्धित वृत्त में कार्यरत हों।

16. कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिए प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य है।

17 ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है, वह टेण्डर प्रकिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।

18. कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे)

19. कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मदो व मात्राओं में विचलन हो सकता है, जिसे करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा तथा धनावंटन में देरी के कारण कार्य/भुगतान में बिलम्व होने से ठेकेदार को किसी भी स्थिति में कोई **Prices esclation** अथवा ब्याज देय नहीं होगा।

20. निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक कार्यस्थल की जॉच कर लेनी चाहिये।

21. ठेकेदार द्वारा कार्य से पूर्व एवं कार्य के पश्चात की वीडियोग्राफी कराकर दो डी0वी0डी0 में उपलब्ध करायी जायेगी इसके साथ ही कार्य से पूर्व एवं कार्य के पश्चात के फोटोग्राफ 3 प्रतियों में एलबम सहित भुगतान से पूर्व कार्यालय में जमा करने होंगे जिसका व्यय ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा उल्लिखित वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं करायी जाती है उस स्थिति में ठेकेदार के बीजक से 5 तक प्रतिशत धनराशि की कटौती की जायेगी।

22. निविदा की लॉट संख्या 01 हेतु ठेकेदार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 की विशिष्टियों/मानको के अनुसार अथवा आवश्यकानुसार इंजीनियर इंचार्ज के निर्देशानुसार कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों की किसी राजकीय विभाग/संस्थान की लैब में परीक्षण कराया जायेगा, जिसका वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

23. निविदा की लॉट संख्या 01 हेतु ठेकेदार द्वारा कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों से सम्बन्धित एम0एम0–11 प्रपत्र भुगतान से पूर्व उपलब्ध कराये जायेंगे।

24. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

25. ठेकेदार द्वारा कार्य के समय बिना अवरोध ट्रेफिक संचालन हेतु सुचारू व्यवस्था की जायेगी।

26. यदि कार्य में कमी पायी जाती है। तब ठेकेदार से उसकी रिकवरी की जायेगी।

27. अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र अनुसार मान्य होंगी।

28. अनुबन्ध का कार्य सबलैट नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

29. उपरोक्त कार्य की निविदा धनावंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही हैं।

30. ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर
बुलन्दशहर